293

पत्र संख्या – पर्य०/नि०/यो० – 22/2017 – 16 /

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला–संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग

फोन– 0651–2400981, फैक्स– 0651–2400982, ई–मेल–govjharkhandtourism@gmail.com, वेबसाईट : www.tourism.jharkhand.gov.in

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 18/06/2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष–5452–पर्यटन, जनजातीय क्षेत्र उपयोजनान्तर्गत खूँटी जिलान्तर्गत पंचघाघ जलप्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में विकास हेतु **₹ 7,32,01,400.00 (सात करोड़ बत्तीस लाख एक हजार चार सौ रू०)** की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष–5452–पर्यटन, जनजातीय क्षेत्र उपयोजनान्तर्गत खूँटी जिलान्तर्गत पंचघाघ जलप्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में विकास हेतु **₹ 7,32,01,400.00 (सात करोड़ बत्तीस लाख एक हजार चार सौ रू०)** की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस राशि का व्यय बजट मुख्य शीर्ष –5452– पर्यटन, उप मुख्य शीर्ष –80– सामान्य, लघुशीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष –75– पर्यटक स्थलों का समेकित विकास एवं पर्यटन अवसंरचना विकास, विस्तृत शीर्ष –05– निर्माण, 45–निर्माण कार्य (विपत्र कोड **46-S-5452-80-796-75-00-05-45**) के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. यह स्वीकृति उपायुक्त, खूँटी के पत्रांक 143/पर्य०, दिनांक 19.12.2024 के आधार पर दी जा रही है।

4. उक्त प्रशासनिक स्वीकृत राशि से निम्न योजना कार्य कराया जायेगा –

SL.NO.	PARTICULAR	Sub Total	Nos.	AMOUNT
1.	**NEW CIVIL WORK**			
1.1	Cafeteria	₹ 6619500.00	1	₹ 6619500.00
1.2	Main Gate	₹ 2232776.00	1	₹ 2232776.00
1.3	Pathway	₹ 2089549.00	1	₹ 2089549.00
1.4	Bridge	₹ 6461996.00	1	₹ 6461996.00
			Sub Total	**₹ 17403821.00**
2.	**REPAIR & RENOVATION WORK**			
2.1	Canteen Building	₹ 2011509.00	1	₹ 2011509.00
2.2	Toilet Block	₹ 1015405.00	1	₹ 1015405.00
2.3	Miscellenious Repair Work	₹ 25940227.00	1	₹ 25940227.00
			Sub Total	**₹ 28967141.00**
3.	**TOILET**			
3.1	Public Toilet Building	₹ 1072519.00	2	₹ 2145039.00
3.2	Septic Tank	₹ 59883.00	3	₹ 179649.00
			Sub Total	**₹ 2324687.90**
4.	**BORING (03 NOS)**	₹ 257168.00	3	₹ 771504.00
			Sub Total	**₹ 771504.00**
5.	**SURVEY & SOIL TESTING**	₹ 157500.00	3	₹ 472500.00
			Sub Total	**₹ 472500.00**
6.	**EXTERNAL DEVELOPMENT**			

6.1	Horticulture Work	₹ 605251.00	1	₹ 605251.00
6.2	Signage Work	₹ 2508035.00	1	₹ 2508035.00
			Sub Total	**₹ 3113286.00**
7.	**ELECTRICAL WORKS**			
7.1	Electrical Works	₹ 6443904.00	1	₹ 6443904.00
			Sub Total	**₹ 6443904.00**
8.	**PLUMBING & SANITARY WORKS**			
8.1	Plumbing & Sanitary Works (Converted Canteen)	₹ 146290.00	1	₹ 146290.00
8.2	Plumbing & Sanitary Works (New Canteen)	₹ 126590.00	1	₹ 126590.00
8.3	Plumbing & Sanitary Works (Toilet)	₹ 314305.00	3	₹ 942915.00
			Sub Total	**₹ 1215795.00**
			Total (A)	**₹ 60712638.00**
			Add 18% GST on (A)	₹ 10928275.00
			Sub Total (B)	**₹ 71640913.00**
			Add 1% Labour cess on (B)	₹ 716409.00
			Sub Total (C)	**₹ 72357323.00**
	Add Consultancy on (A)			
	Fee @ 1.35% upto 1 Cr.	₹ 135000.00		
	Fee @ 1.25% Above 1 Cr. to 5 Cr.	₹ 500000.00		
	Fee @ 0.75% 1 Cr. to 5 Cr.	₹ 80345.00		
	Sub Total	**₹ 715345.00**		
	Add GST @ 18%	₹ 128762.00		
		₹ 844107.00		₹ 844107.00
			GRAND TOTAL	₹ 73201429.00
			Say	**₹ 73201400.00**

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उपायुक्त, खूँटी होंगे तथा इसकी निकासी जिला कोषागार, खूँटी से की जायेगी।

6. योजना का कार्यान्वयन उपायुक्त, खूँटी के माध्यम से कराया जायेगा।

7. इस राशि से किये गये कार्य के विरूद्ध नियमानुसार मदवार व्यय किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में राशि की अग्रिम निकासी नहीं की जायेगी।

8. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०, दिनांक 17.04.1998 तथा वित्त विभाग से समय-समय पर निर्गत परिपत्रों, वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता तथा झारखण्ड लोक निर्माण संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

9. ये सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि प्रश्नगत कार्य पर किसी अन्य मद से राशि व्यय की गयी है या की जा रही है, तो इस राशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

10. योजना का कार्यान्वयन प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत कराया जायेगा तथा बगैर विभाग के पूर्व अनुमोदन के प्रशासनिक स्वीकृति से अधिक राशि का कार्य नहीं किया जायेगा।

11. योजना का कार्यान्वयन निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कराया जायेगा।

कृ०पृ०उ० 3

12. योजना कार्यान्वयन सरकारी भूमि पर कराया जाएगा। आवश्यकतानुसार वन विभाग/अन्य सरकारी एजेंसी से भूमि उपयोग हेतु अनापत्ति प्राप्त कर लिया जाएगा।

13. विषयांकित योजना का दोहरीकरण ना हो, इसका पूर्ण ध्यान उपायुक्त, खूँटी रखेंगे व दोहरीकरण की स्थिति में पूर्ण जवाबदेही उपायुक्त, खूँटी की होगी।

14. योजना का कार्य प्रारंभ किए जाने के पूर्व झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि० द्वारा पूर्व में कराए गए कार्यों का अविलम्ब भुगतान संवेदक को करते हुए अवशेष राशि को समुचित जमा शीर्ष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करते हुए एकरारनामा को बंद किया जाए।

15. उपायुक्त, खूँटी योजना कार्य पूर्ण होने के उपरांत इसका विधिवत् हस्तांतरण जिला पर्यटन संवर्धन परिषद्, खूँटी को करेंगे एवं निर्मित होने वाले संरचनाओं का समुचित प्रबंधन, रख–रखाव, संचालन एवं होने वाले विद्युत व्यय का भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे।

16. उपायुक्त, खूँटी समय–समय पर कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा कार्य का पर्यवेक्षण/निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करायेंगे तथा प्रत्येक माह, मासिक प्रगति प्रतिवेदन (भौतिक एवं वित्तीय) विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

17. उपायुक्त, खूँटी योजना का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड को प्रेषित करते हुए इसकी एक प्रति विभाग को अनिवार्य रूप से ससमय भेजना सुनिश्चित करेंगे।

18. दिनांक 31.12.2026 तक योजना पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

19. राशि का विचलन दूसरे मद में कदापि नहीं किया जाय, अन्यथा इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होगे।

20. इस मा० विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

21. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

16/6/25

(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : *पर्य०/नि०/यो० – 22/2017 –* ....16..... /राँची, दिनांक ....18.06.2025..... /

प्रतिलिपि – उपायुक्त, खूँटी/कोषागार पदाधिकारी, खूँटी/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि०, राँची/जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी, खूँटी/सचिव, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/6/25

सरकार के सचिव

295

ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 773

पत्रांक संख्या :- 16 **झारखण्ड सरकार** पत्रांक दिनांक :- 18/06/2025

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)

स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

MANOJ KUMAR
SECRETARY

RANCHI

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार ,झारखण्ड का कार्यालय ,
पोस्ट - डोरंडा ,राँची ।

द्वारा- *आतंरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : खूँटी जिलान्तर्गत पंचघाघ जलप्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में विकास की

प्रशासनिक स्वीकृति

आदेश- स्वीकृत |

1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 46 - पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)
मुख्यशीर्ष - 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय
उपमुख्य शीर्ष - 80-सामान्य

राज्य योजना

लघुशीर्ष	राशि
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	□7,32,01,400.00
कुलराशि :-	**□7,32,01,400.00**

117.233.189.209

Run Date: 18/06/2025

294

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
46S545280796750545	75 - पर्यटक स्थलों का समेकित विकास एवं पर्यटन अवसंरचना विकास	45 - निर्माण कार्य	

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा।

2.) राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी R. RONITA (KHNDADK01), D.C.KHUNTI होंगे तथा राशि □7,32,01,400.00/- की निकासी Khunti कोषागार से की जाएगी।

3.) प्रस्ताव पर आंतरिक वितीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

4.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता ,अनुदान ,वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से